

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 18 फरवरी, 2003 ई0 माघ 29, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन सिंचाई विभाग

सख्याः—554 / नौ—1—सिं0 / 2003 देहरादून, 18, फरवरी, 2003 **अधिसूचना**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान, नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तरांचल, अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह "ख" में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तरांचल अभियन्ता (सिचाई विभाग) (समूह ''ख'') सेवा नियमावली, 2003

भाग एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह "ख" सेवा नियमावली 2003 कही जायेगी ।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. सेवा की प्रास्थिति-

उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''ख'' एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''ख'' के पद समाविष्ट हैं ।

3. परिभाषायें-

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है ।
- (ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग—दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ।
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है ।
- (घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है ।
- (ड) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ।
- (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ।
- (छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के अपने—अपने संवर्ग में किसी पद इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप में नियुक्त व्यक्ति से है ।
- (ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह "ख"सेवा से है ।
- (झ) 'मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यवाहक आदेशों द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; और
- (ट) 'भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग दो-संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग-

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर आवंटित की जाये ।

- (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है परन्तु—
 - (एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या उसे आरक्षित रख सकते हैं, जिसमें कोई प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।
 - (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन-भर्ती

5. भर्ती का श्रोत-

सेवा में सहायक अभियन्ता (सिविल या यांत्रिक) के पदों पर भर्ती इस प्रकार व्यवस्थित की जायेगी कि—

- (1) सिविल संवर्ग में 50.00 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से चुने गये अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायें ।
- (2) यांत्रिक संवर्ग में 50.00 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से चुने गये अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगें ।

शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नित द्वारा निम्न प्रकार से भरे जायेंगें-

(क) सिविल शाखा में :

- (एक) 40 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें ।
- (दो) 2.67 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे संगणक (सिविल) में से जो परिशिष्ट ''ख'' में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें । जिसमें से 0.4 प्रतिशत मौलिक रुप से नियुक्त शोध पर्यवेक्षक, जो नियम—8 में विनिर्दिष्ट सिविल अभियंत्रण में अर्हता रखते हैं, तथ 0.67 प्रतिशत ऐसे संगणक जो नियम—8 में विनिर्दिष्ट सिविल अभियंत्रण में अर्हता रखते हों, की पदोन्नित से भरे जायेंगें । किन्तु ऐसे शोध पर्यवेक्षक अथवा संगणक उपलब्ध न होने पर उनके कोटे के पद सामान्य संगणक (सिविल) की पदोन्नित से भरे जायेंगें ।

- (तीन) 7.33 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे किनष्ट अभियन्ता (सिविल) में से, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि रखता हो या इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (सिविल इंजीनियरिंग ब्रान्च) का एसोसिएट मैम्बर हो और जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें । 7.33 प्रतिशत कोटे में से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस कोटे के पद नियम 5 (क) (एक) की व्यवस्था के अनुसार सामान्य किनष्ट अभियन्ता (सिविल) से भरे जायेंगें ।
- (ख) यांत्रिक शाखा में :
- (एक) 40 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें।
- (दो) 9.33 प्रतिशत पद, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे किनष्ट अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि रखता हो या इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (यांत्रिक इंजीनियरिंग ब्रान्च) का एसोसिएट मैम्बर हो और जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरे जायेंगें । 9.33 प्रतिशत कोटे में से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस कोटे के पद नियम 5 (ख) (एक) की व्यवस्था के अनुसार सामान्य किनष्ट अभियन्ता (यांत्रिक) से भरे जायेंगें ।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नित द्वारा भर्ती को इस प्रकार विनियमित कर सकता है कि पदोन्नित के लिये विहित प्रतिशत बना रहे ।

6. आरक्षण-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार-अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है अभ्यर्थी — (क) भारत का नागरिक हो, या

- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आयें हों, या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रबरन किया हो :

उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनित्तम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

शैक्षिक अर्हता—ः

सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है—

- (1) किसी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्विद्यालय से, यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक अभियंत्रण में कोई उपाधि, या
- (2) इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का यथास्थिति, सिविल इंजीनियरिंग ब्रान्च या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रान्च का अर्ह एसोशिएट मेम्बर ।

9. अधिमानी अर्हतायें-

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

- (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (दो) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु-

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये ।

11. चरित्र-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके ।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगें । नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें ।

12. वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

13. शारीरिक स्वस्थता-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लें ।

परन्तु पदोन्नित द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा-

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की सख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की सख्या भी अवधारित करेगा ।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

- (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित के लिये आवेदन—पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगें ।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया प्रवेश पत्र न हो ।
- (3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम—6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी सख्या के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा ।
- (4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तयार करेगा

और उतनी सख्या में अभ्यर्थियों को जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझें, संस्तुत करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची के ऊपर रखा जायेगा । सूची में नामों की सख्या रिक्तियों की सख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

16. पदोन्नित द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

सहायक अभियन्ता (सिविल) या सहायक अभियनता (यांत्रिक) पद पर पदोन्नित द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, यथासंशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से परामर्श चयनोन्नित (प्रक्रिया), उत्तर प्रदेश नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी

परन्तु यह और कि यदि दो या अधिक सवंगों के वेतनमान समान हों तो पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके मौलिक नियुक्ति के दिनांक से क्रमानुसार रखे जायेंगें।

17. संयुक्त चयन समिति-

- (1) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नित दोंनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे ।
- (2) किनष्ठ अभियन्ताओं, संगणकों और शोध पर्यवेक्षकों के नाम उनके अपने—अपने संवर्ग में वेतनमान के अनुसार नियम—5 मं यथापरिभाषित पदोन्नित कोटा के अनुपात में संयुक्त चयन सूची में रखे जायेंगें । उच्च वेतनमान वाले पोषक सवर्ग से पदोन्नित व्यक्ति निम्न वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नित व्यक्ति निम्न वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नित व्यक्ति निम्न वेतनमान

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति-

- (1) उपनियम–2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यथियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें ये यथास्थिति, नियम–15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आयें हों, नियुक्तियाँ करेगा ।
- (2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नित दोंनों द्वारा की जानी है, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोंनों श्रोंतो से

चयन न कर लिया जाये ओर नियम-17 के अनुसार एक संयक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जायेगी जैसा कि उस सवंर्ग में हो जिसमें उसे पदोन्नत किया जाये । यह नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोंनों द्वारा की जाती हैं तो नाम नियम–17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगें।

19. परिवीक्षा-

- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगें अलग—अलग मामलों में पिरविक्षा अविध को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा तब तक अविध बढ़ाई जाये ।

 परन्तु आपवादिक पिरिस्थितियों के सिवाय पिरविक्षा—अविध एक वर्ष से अधिक और किसी पिरिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी ।
- (3) यह परिवीक्षा अविध या बढ़ाई गई परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परिवीक्षधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

20. स्थायीकरण-

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अविध या बढ़ाई गई परिवीक्षा अविध के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि—

- (क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ।
- (ख) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो ।

- (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये ।
- (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये ।
- (ड) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वे स्थाई किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

21. ज्येष्ठता-

किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन इत्यादि

22. वेतनमान-

- (1) सेवा के सवंर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये ।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें और जब तक कि सरकारी सेवक पुराने वेतनमान के लिये विकल्प न दें, वेतनमान वह होगा जैसा परिशिष्ट—''क—1'' में प्रदर्शित किया गया है ।
- (3) सहायक अभियन्ताओं को अलग—अलग मामलों में समय—समय पर जारी सरकार के आदेशों में दिये गये मानदण्ड के अनुसार क्रमशः परिशिष्ट "क—2" और "क—3" में यथा उल्लिखित उच्च वेतनमान और वैयक्तिक वेतनमान दिया जायेगा ।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन-

(1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करते हुये एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो आर द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अविध में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24. दक्षता रोक पार करना-

किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमित नहीं दी जायेगी जब तक कि-

- (1) उसका कार्य आर व्यवहार संतोषजनक न बताया जाये ।
- (2) उसकी सत्यनिष्ठा की पुष्टि न कर दी जाये ।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

25. पक्ष समर्थन-

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

26. अन्य विषयों का विनियमन-

ऐस विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें ।

27. सेवा की शर्तों में शिथिलता-

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित किताई होती है, वहाँ यह आयोग के परामर्श से, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा भी उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा ।

28. व्यावृत्ति-

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध मं सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्यों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से.

ओ०पी०आर्य प्रमुख सचिव ।

परिशिष्ट-"क-1" [नियम 4(2) और नियम 22(2) देखिय]

क्रम संख्या	प्द का नाम	वेतनमान
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	₹0 8000—13500
2	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	₹0 8000−13500

परिशिष्ट-"क-2" [नियम 22(3) में देखिये]

उच्च वेतनमान

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	₹0 10000−325−15200
2	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	₹0 10000−325−15200

परिशिष्ट—''क—3'' [नियम 22(3) में देखिये]

वैयक्तिक वेतनमान

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	₹0 12000−375−16500
2	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	₹0 12000-375-16500

परिशिष्ट—''ख'' [नियम 5(2) (क) (दो) देखिये]

- (1) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तरांचल द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।
- (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
- (3) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तरांचल एडहाक बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन उत्तरांचल द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण–पत्र ।
- (4) रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण-पत्र ।
- (5) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप में तीन वर्षीय प्रमाण-पत्र ।
- (6) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैनशिप में ढाई वर्षीय प्रमाण-पत्र ।
- (7) श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रों के प्रशिक्षार्थियों को व्यवसायिक वृत्ति में प्रशिक्षण देने के लिये श्रम मंत्रालय और सेवायोजन राष्ट्रीय परिषद् भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शानवीस का प्रमाण-पत्र।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 554/IX-1-Sin/2003 dated February 18, 2003 for general information:

No. 554/IX-1-Sin/2003 Dated Dehradun, February 18, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to made the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "B").

PART - I GENERAL

1. Short title and Commencement:

- (1) These rules may be called the Uttaranchal Service Rules, 2003.
- (2) They shall come into force at once.

2. Status of the service:

The Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) (Group-B) is a State service comprising group "B" posts

3. Definition:

In these rules unless there is anything repugnant in the subject of context –

- (a) "Appointing Authority" means the Governor;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
- (d) "Constitution" means the Constitution of India;
- (e) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (f) "governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (g) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the Service:

- (h) "Service" means the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department);
- (i) "Substantive Appointment" means an appointment not being on adhoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and
- (j) "Year of Requirement" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II – CADRE

4. Cadre of the Service:

- (1) The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix "A" Provided that
 - (i) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
 - (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

PART III – RECRUITMENT

5. Source or recruitment:

Recruitment to the posts of Assistant Engineer (Civil or Mechanical) in the Service shall be so arranged that –

- (1) 50.00% posts in the Civil Cadre are filled in by direct recruits selected through the Commission.
- (2) 50.67% posts in the Mechanical Cadre are filled in by direct recruits selected through the Commission.

Rest of the posts shall be filled in by promotion through Commission, as under:-

(a) In Civil Branch -

- (i) 40% shall be filled in from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil), who have completed ten years service as such, on the first day of the year of recruitment.
- 2.67 percent shall be filled in from amongst such substantively (ii) appointed Computers (Civil) who possess one of qualifications mentioned in Appendix "B" and who have completed five years of service as such on the first day of the year of recruitment. 0.4% shall be filled in from amongst such substantively appointed Research Supervisor who possess in Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognized Institution or are Associate Members of the Institution of Engineers (India) (Civil Engineer Branch) and who have completed three year service as such, on the first day of the year of recruitment. 0.67% shall be filled in from amongst such substantively appointed Computers (Civil) who possess Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognized Institution of Engineers (India) (Civil Engineering Branch) and who have completed three year service as such on the first day of the year of recruitment. If the eligible candidates are not available then the post will be filled by the general promotion.
- (iii) 7.33% shall be filled in from amongst such substantively appointed Junior Engineers (Civil) who possess Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized Institution or is an Associate Member of Institution of Engineers (India) (Civil Engineering Branch) and who have completed three year service, as such, on the first day of the year of recruitment. In the 7.33 quota, if the candidate will not available then according to rules of 5 (a) (one) the post will be filled by the Junior Engineer (Civil).

(b) In Mechanical Branch:

- (i) 40.00% shall be filled in from amongst such substantively appointed Junior Engineers (Mechanizes) who possess Bachelor's degree in Mechanical Engineering from a recognized Institution or are Associate Members of the Institution of Engineers (India) (Civil Engineering Branch) and who have completed three year service as such, on the first day of the year of recruitment.
- (ii) 9.33 percent shall be filled in from amongst such substantively appointed Junior Engineers (Mechanical) who possess

Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized Institution or is an Associate Member of Institution of Engineers (India) (Mechanical Engineering Branch) and who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment. In the 9.33% quota, if the candidate will not available then according to rules of 5 (b) (one) the post will be filled by the Junior Engineer (Mechanical):

Provided that the appointing authority may regulate the recruitment by promotion in any year of recruitment in such manner that the prescribed percentage for promotion is maintained.

6. Reservation:

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV – QUALIFICATIONS

7. Nationality:

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be –

- (a) A Citizen of India, or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently setting in India or,
- (c) A person of Indian origin as migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any or the East African countries of Kenya, Uganda and the Untied Republic of Tanzania (for merely Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India:

Provided that a candidate belonging in category (b) or (c) above must be a person in whose favours in certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal

:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more that one year

and the retention of such a candidate in service be join a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic qualification:

A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Engineer must –

- (1) Possess a Degree in Civil or Mechanical Engineering as the case may be, from an Institution or an University recognized by the Government; or
- (2) Be a qualified Associate Member of the Institution of Engineers (India) Civil Engineering Branch or Mechanical Engineering Branch, as the case may be.

9. Preferential Qualification:

A candidate who has involved in the territorial army for a minimum period of two years, or obtained a "B" certificate on National Cadet Core. Things being equal, be given preference to the person of direct recruitment.

10. Age:

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 year and must not have attained the age of more than 35 years on the first day or July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

11. Character:

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day or July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission.

12. Marital Status:

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation for the rule.

13. Physical Fitness:

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and badly health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties, before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by Medical Board:

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. Date of determination of vacancies:

The appointing authority shall determine and intimate to the commission the Number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for a candidate to belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rules 6.

15. Procedure for Direct Recruitment:

- (1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the commission in the prescribed Performa published in the advertisement issued by the commission.
- (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the commission.
- (3) After the results of the written examination have been received and tabulated the commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other under Rule -6, summon for interview such number of candidates as on the result of written examination have come up to the standard fixed by the commission in this respect, the marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.
- (4) The commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two

or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be place higher in the list. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.

16. Procedure for recruitment by Promotion:

Recruitment by promotion to the post of Assistant Engineer (Civil) or Assistant Engineer (Mechanical) shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit in accordance with "Uttaranchal Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, as U.P. 1970 as amended form time to time":

Provided that if there are different feeding cadres the candidates in the higher pay scale shall be placed above in the eligibility list:

Provided further that if two or more cadres are in identical scales of pay the names of the candidates in the eligibility list shall be arranged according to the date of order of there substantive appointment.

17. Combined select list:

If any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined a list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage in maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion. The names of Junior Engineers, Computers and Research Supervisors shall be placed in the combined select list in proportion of promotion quota, as defined in Rule 5, in accordance with the pay scale in their respective cadre. The persons promoted from the feeding order having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from feeding order having lower pay scale.

PART VI- APPOINTMENT, DEPARTMENTAL TRAINING, EXAMINATION, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORTY

18. Appointment:

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in order in which

- they stand in the lists prepared under Rules 15, 16 or 17 as the case may be.
- Where, in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with Rule 17.
- (3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 17.

19. Probation

- (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may for reasons to be recorded extend the period of probation individual cases specifying the date up to which the extension is granted:
- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient of his opportunities of has otherwise not to give satisfaction he may be removed to substantive post, if any, and if he is not hold a lien or any post his services may be dispersed with.
- (4) A probationer who is revolved or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

20. Confirmation:

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation of —

- (a) He has passed the prescribed Departmental Examination;
- (b) He has successfully undergone the prescribed training;
- (c) His work and conduct is reported to be satisfactory;
- (d) His integrity is certified; and
- (e) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority:

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

PART VII – PAY ETC.

22. Scales of Pay:

- (1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scales of pay shall, until orders varying the same under sub-rule (1) are passed and unless the Government Servant opts for the old scale be as shown in Appendix "A-1".
- (3) Higher scale of pay and personal scale of pay as mentioned in Appendix "A-2" and "A-3" respectively shall be allowed to the Assistant Engineers, in individual cases in accordance with criterion laid down in the orders of the Government issued from time to time.

23. Pay during probation:

- (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, including period of training, has passed the departmental examination and second increment after two years satisfactory service where he has completed the probationary period and is also confirmed:
 - Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.
- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:
 - Provided that if the period of probation is extended or account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person who is already in permanent. Government Service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government Service generally growing in connection with the affairs to the state.

24. Criteria for Crossing Efficiency Bar

No person shall be allowed to cross efficiency bar, unless -

- (i) his work and conduct is reported to be satisfactory; and
- (ii) his integrity is certified

PART VIII – OTHER PROVISIONS

25. Canvassing:

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidate will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters:

In regard to the matters not specifically covered by their rules of special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in correction with the affairs of the State.

27. Relaxation from the conditions of service:

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may in consultations with commission notwithstanding anything contained in the rules applicable to be case, by order dispersed with or relax. The requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

28. Savings:

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

O. P. ARYA, Principal Secretary

Appendix "A-1" [See rule 4 (2) and 22 (2)]

SI No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Assistant Engineer (Civil)	Rs. 8000 – 13500
2.	Assistant Engineer (Mechanical)	Rs. 8000 – 13500

Appendix "A-2" [See rule 4 (2) and 22 (3)] Higher Scale

SI No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Assistant Engineer (Civil)	Rs. 10000–325-15200
2.	Assistant Engineer (Mechanical)	Rs. 10000-325–15200

Appendix "A-3" [See rule 4 (2) and 22 (3)] Personal Scale

SI No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Assistant Engineer (Civil)	Rs. 12000 – 375 – 16500
2.	Assistant Engineer (Mechanical)	Rs. 12000 – 375 – 16500

Appendix "B" [See rule 5 (2) (a) (ii)]

- (1) Three years Diploma in Civil Engineer awarded by State Board of Technical Education in Uttaranchal.
- (2) Diploma in Civil Engineer awarded by any other Institutions recognized by the Government.
- (3) Certificate in Draftsmanship awarded by State Board of Technical Education, Uttaranchal or Adhoc Board of Engineering Education in Uttaranchal.
- (4) Certificate of Draftsmanship from Roorkee University.
- (5) Three Years Certificate in Draftsmanship from Banaras Hindu University.

- (6) Two and half Years Certificate in Draftsmanship from Aligarh University.
- (7) Certificate of Nakshanavees awarded by Ministry of Labour and National Employment Council, Government of India, to the trainees of Industrial Training Institutions under the Labour Department.